GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO- 182
ANSWERED ON – 15/12/2021

DEVELOPMENT OF ROADS IN HIMACHAL PRADESH

182 # MS. INDU BALA GOSWAMI:

Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

(a) whether Government has increased the Central Road Fund (CRF) for development of roads in Himachal Pradesh;

(b)if so, the details thereof;

(c) whether Government proposes to formulate a special programme for tourism development around National Highways;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the scheme Government presently have for the maintenance and safety of the roads in other hilly States of the country, including Himachal Pradesh?

ANSWER

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(SHRI NITIN JAIRAM GADKARI)

(a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (e) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 182 ON 15 TH DECEMBER, 2021 ASKED BY MS. INDU BALA GOSWAMI REGARDING '**DEVELOPMENT OF ROADS IN HIMACHAL PRADESH**'

(a) and (b) This Ministry allocates funds to the State Governments / Union Territories (UTs) including the state of Himachal Pradesh for development and maintenance of State Roads under the Central Road & Infrastructure Fund (CRIF) and Economic Importance & Interstate Connectivity (EI&ISC) Schemes as per the provisions of the CRIF Act, 2000 (i.e. the Central Road Fund Act, 2000 amended by the Finance Act, 2018) amended by the Finance Act, 2019, Allocation of funds is based on 30 percentage weightage to fuel consumption and 70 percentage weightage to geographical area of the State/UT. The details of accrual/ allocation of funds and the funds released for State roads under CRIF scheme for the State of Himachal Pradesh in the last three years and current year is as under:

Amount in Rs. crore

2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
Accrual	**Release**	**Accrual**	**Release**	**Accrual**	**Release**	**Accrual**	**Release**
98.98	92.56	103.27	87.12	97.27	95.95	99.69	99.69

(c) and (d) The Ministry is primarily responsible for development and maintenance of NHs. The Ministry has connected several places with Tourism potential with high quality National Highways to improve commuter experience. The Ministry takes up suitable project of tourist place connectivity as recommended by the state.

(e) The Maintenance and Repair (M&R) of stretches of NHs, where either Development works have commenced or Operation, Maintenance and Transfer (OMT) Concessions/ Operation and Maintenance (O&M) Contracts have been awarded, are entrusted to the Concessionaires/ Contractors till the Defect Liability Period (DLP)/ the Concession Period. M&R of balance stretches of NHs are carried out annually as per available budgetary outlay, inter-se priority and traffic density to keep such NHs in traffic worthy conditions.

Road Safety is a continuous process and is taken up as integral part of development of NH Project and separate projects are also taken up for rectification of identified road accident black spots on NHs of country including hilly states and Himachal Pradesh.

*****

भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *182

जिसका उत्तर 15.12.2021 को दिया जाना है

हिमाचल प्रदेश में सड़कों का विकास

*182. सुश्री इंदु बाला गोस्वामी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के इर्द-गिर्द पर्यटन के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) हिमाचल प्रदेश सहित देश के अन्य पहाड़ी राज्यों में सड़कों के रखरखाव और सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार की वर्तमान में क्या-क्या योजनाएं हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

'हिमाचल प्रदेश में सड़कों का विकास' के संबंध में सुश्री इंदु बाला गोस्वामी द्वारा पूछे गए दिनांक 15.12.2021 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *182 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): यह मंत्रालय केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) और आर्थिक महत्व और अंतरराज्यीय संपर्क (ईआई और आईएससी) के तहत हिमाचल प्रदेश सहित राज्य की सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के लिए वित्त अधिनियम, 2019 के द्वारा संशोधित सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 (अर्थात वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित केंद्रीय सड़क कोष अधिनियम, 2000) के प्रावधानों के अनुसार निधि आवंटित करता है। निधियों का आवंटन ईंधन खपत के लिए 30 प्रतिशत वेटेज और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के भौगोलिक क्षेत्र के लिए 70 प्रतिशत वेटेज पर आधारित होता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए सीआरआईएफ योजना के तहत राज्य की सड़कों के लिए निधियों के प्रोद्भवन/आवंटन और जारी निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

							धनराशि करोड़ रुपये में
2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
प्रोद्भवन	**आवंटन**	**प्रोद्भवन**	**आवंटन**	**प्रोद्भवन**	**आवंटन**	**प्रोद्भवन**	**आवंटन**
98.98	92.56	103.27	87.12	97.27	95.95	99.69	99.69

(ग) और (घ): मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। मंत्रालय ने पर्यटन के संभावना वाले विभिन्न स्थानों को उच्च गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा है ताकि आने-जाने वाले को बेहतर अनुभव मिले। मंत्रालय राज्यों द्वारा बताई गई पर्यटन स्थान संपर्कता की उचित परियोजनाओं का कार्य शुरू करता है।

(ड.): राष्ट्रीय राजमार्गों के उन हिस्सों का रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर), जहां या तो विकास कार्य शुरू हो गए हैं या संचालन, रखरखाव और स्थानांतरण (ओएमटी) रियायतें / संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) अनुबंध सौंपे गए हैं, को रियायतग्राहियों/ठेकेदारों को दोष देयता अवधि/रियायत अवधि तक सौंपा जाता है। उपलब्ध बजटीय परिव्यय, परस्पर प्राथमिकता और यातायात घनत्व के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के शेष हिस्सों का रखरखाव और मरम्मत वार्षिक आधार पर किया जाता है ताकि ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थितियों में रखा जा सके।

सड़क सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के विकास के अभिन्न भाग के रूप में लिया जाता है और पहाड़ी राज्यों और हिमाचल प्रदेश सहित देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर चिन्हित सड़क दुर्घटनाओं के ब्लैक स्पॉट के सुधार के लिए अलग-अलग परियोजनाएं भी शुरू की जाती हैं।

*****

श्री नितिन जयराम गडकरी : महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्रीमती रूपा गांगुली : उपसभापति महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : यह प्रश्न हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित है...**(व्यवधान)**.. If your question is related to Himachal Pradesh only then you can put....*(Interruptions)*... The question is related to Himachal Pradesh. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती रूपा गांगुली: यह general question है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Any supplementary? No supplementary. प्रश्न संख्या 183 - श्री प्रकाश जावडेकर जी।